श्री भीष्म साहनी, माननीय स.वि.प. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-01/212/1345 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, Water Resources Department विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा शहर को गंडक नदी के कटाव से बचाने हेतु कटाव निरोधक कार्य फेज 01, फेज 02, फेज 03 एवं फेज 04 के तहत कराया गया; (ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा का भुगतान 10 साल से लंबित है; (ग) क्या यह सही है कि लंबित मुआवजा की राशि विभाग के पास पड़ा हुआ है; (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लंबित मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा शहर गंडक नदी के बायें किनारे पर अवस्थित है। बगहा शहर को गंडक नदी के कटाव से बचाने हेतु वर्ष 2009-2010 से वर्ष 2018-2019 तक बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य विभिन्न फेजों यथा फेज-01, 02, 03, 04 एवं 04-B के तहत कराया गया है। • **बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य फेज-01** (भू-अर्जन अधिनियम 1984) वर्ष 2009-2010 के अन्तर्गत जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को कुल रू० 29,08,53,894.00 (उन्नतीस करोड़ आठ लाख तिरेपन हजार आठ सौ चौरानबे रूपये) मात्र राशि उपलब्ध करायी गयी है। 63 अदद् रैयतों का जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेतिया के द्वारा लगभग रू० 13.28 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है, साथ हीं 51 अदद् रैयतों द्वारा वांछित अभिलेख समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनका भुगतान लंबित है। लंबित भुगतान हेतु प्रक्रिया जिला भू-अर्जन पदाधिकरी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा की जा रही है। • **बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य फेज-02** के मौजा-बगहा खास एवं फेज-03 के मौजा-रतनमाला एवं मलकौली-पटखौली में क्रमशः 46 अदद् रैयतों एवं 100 अदद् रैयतों का भूमि अधिग्रहण सतत् लीज नीति के तहत किया गया है एवं उक्त मौजों में कुल 146 अदद् रैयतों का प्राक्कलन तैयार कर अनुमोदन हेतु समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराया गया है। • **बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य फेज-03** के अन्तर्गत मौजा-मंगलपुर एवं औसानी के 68 अदद् रैयतों को भुगतान किया जाना है, जिसमें से 02 अदद् रैयतों को कुल 1.44 लाख का भुगतान किया गया है, शेष रैयतों द्वारा अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। • **बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य फेज-04** के अन्तर्गत मौजा- नयागाँव, औसानी एवं रजवटिया के 43 अदद् रैयतों की भूमि के पूर्ण स्वामित्व संबंधित प्रतिवेदन हेतु अंचलाधिकारी बगहा-01 एवं 02 से माँग किया गया है, वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। • **बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य फेज-04-B** के अन्तर्गत मौजा-नयागाँव एवं औसानी के अधिग्रहित रैयतों की भूमि के पूर्ण स्वामित्व संबंधित प्रतिवेदन हेतु अंचलाधिकारी बगहा-01 से माँग किया गया है, वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। बगहा शहर सुरक्षात्मक कार्य फेज-। एवं फेज-।।। के तहत कराये गये कार्यों में अधिग्रहित भूमि के नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः— 29/सं0का0—06—04/2026 पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0—01/212/1345 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(बलिराम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 29/सं0का0—06—04/2026 1313 पटना, दिनांकः— 9/3/26

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/3/26

सरकार के उप सचिव।